



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक २६]

मंगळवार, जून ३०, २०२६/आषाढ ९, शके १९४८

[पृष्ठे २६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६(१) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. XXXIX OF 2026.*A BILL*

THE AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2027.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३९ सन् २०२६।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२७ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की

अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के उसमें के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२७ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, कतिपय रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तहतरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२६ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

(१)

राज्य की संचित
निधि में से वित्तीय
वर्ष २०२६-
२०२७ के लिये,
९ खरब,
७७ अरब,
०६ करोड़,
४० लाख,
३९ हजार
रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर नौ खरब, सत्तहतर अरब, छह करोड़, चालीस लाख, उनतालीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी विनियोजन		
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
क—राजस्व लेखे पर व्यय					
सामान्य प्रशासन विभाग ।					
ए-१	राज्यपाल और मंत्रिपरिषद।	२०१२, राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति / राज्यपाल / संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक।	...	२५,००,०००	२५,००,०००
		२०१३, मंत्री परिषद			
ए-२	निर्वाचन।	२०१५, निर्वाचन।	७०,००,०००	...	७०,००,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	५५,४२,६२,०००	...	५५,४२,६२,०००
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य।			
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।			
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।			
ए-६	सूचना तथा प्रसार।	२२२०, सूचना तथा प्रसार।	१,५५,०४,०००	...	१,५५,०४,०००
कुल-सामान्य प्रशासन विभाग			५७,६७,६६,०००	२५,००,०००	५७,९२,६६,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
गृह विभाग ।			
बी-१	पुलिस प्रशासन ।	२०१४, न्याय प्रशासन । २०५५, पुलिस । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	३,००,२५,१०,००० ... ३,००,२५,१०,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन ।	२०४१, वाहनों पर कर । ३०५५, सड़क परिवहन । ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।	९,१०,९४,००० ... ९,१०,९४,०००
बी-५	कारागृह ।	२०५६, कारागृह ।	२८,५४,८४,००० ... २८,५४,८४,०००
		कुल-गृह विभाग ।	३,३७,९०,८८,००० ... ३,३७,९०,८८,०००
महसूल तथा वन विभाग ।			
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व । २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५३, जिला प्रशासन । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २८५३, अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग ।	१,६०,९६,००,००० ... १,६०,९६,००,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ । २०५९, लोकनिर्माण कार्य । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	१२,६५,००,००० ... १२,६५,००,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगर विकास ।	५०,००,००,००० ... ५०,००,००,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	१,२२,००,४३,००० ... १,२२,००,४३,०००
		२७११, बाढ़-नियंत्रण और निकास।	
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	१२,३३,०९,००० ... १२,३३,०९,०००
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	
		२५५१, पहाड़ी क्षेत्र।	
		कुल-महसूल तथा वन विभाग।	३,५७,९४,५२,००० ... ३,५७,९४,५२,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, फसल उत्पादन।	८,४३,८०,९६,००० ... ८,४३,८०,९६,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	३,७५,७०,२९,००० ... ३७,५७,०२९
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	११,५९,५४,००० ... ११,५९,५४,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	२४०५, मत्स्य उद्योग।	६,०१,३०,००० ... ६,०१,३०,०००
		कुल-कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	१२,३७,१२,०९,००० ... १२,३७,१२,०९,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग ।			
ई-२	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	५०,३७,५४,००० ... ५०,३७,५४,०००
ई-३	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	१,००,००,००,००० ... १,००,००,००,०००
		कुल-विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	१,५०,३७,५४,००० ... १,५०,३७,५४,०००
नगर विकास विभाग।			
एफ-२	नगरविकास और अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगर विकास। ३०५५, सड़क परिवहन।	७१,६६,३५,३४,००० ... ७१,६६,३५,३४,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानिय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	५,९५,९८,००,००० ... ५,९५,९८,००,०००
		कुल-नगर विकास विभाग।	७७,६२,३३,३४,००० ... ७७,६२,३३,३४,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
लोकनिर्माण कार्य विभाग ।			
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	५,००,००,००,००० ... ५,००,००,००,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक और कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	१,४८,००० ... १,४८,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।	
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।	
		२२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य।	
		२२१७, नगर विकास ।	
		२२३०, श्रम, रोजगार और कौशल विकास।	
		२४०३, पशुपालन।	
		२४०५, मत्स्य उद्योग।	
		कुल-लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	५,००,०१,४८,००० ... ५,००,०१,४८,०००
जल स्रोत विभाग ।			
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	६,९७,४९,००० ... ६,९७,४९,०००
		२७००, बड़ी सिंचाई ।	
		२७०१, मध्यम सिंचाई।	
		२७०२, लघु सिंचाई	
		२७०५, कमान क्षेत्र विकास।	
		२७११, बाढ़.नियंत्रण और निकास।	

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
		२८०१, विद्युत।			
		३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान।			
		कुल-जल स्रोत विभाग।	६,९७,४९,०००	...	६,९७,४९,०००
		विधि तथा न्याय विभाग।			
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	१,०३,०५,३४,०००	३०,३०,१७,०००	१,३३,३५,५१,०००
जे-२	सचिवालय और अन्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	३,३७,३४,०००	...	३,३७,३४,०००
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।			
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।			
		कुल-विधि तथा न्याय विभाग।	१,०६,४२,६८,०००	३०,३०,१७,०००	१,३६,७२,८५,०००
		उद्योग, ऊर्जा, श्रमिक तथा खनिकर्म विभाग।			
के-२	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	...	३०,००,००,००,०००	३०,००,००,०००
के-४	श्रम, नियोजन और कौशल विकास।	२२३०, श्रम, नियोजन और कौशल विकास।	३०,३५,२१,०००	...	३,०३,५२,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत।	१,१७,२९,९५,००,०००	...	१,१७,२९,९५,००,०००
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
के-८	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	१८,००,०००	...	१८,००,०००
		कुल-उद्योग, ऊर्जा, श्रमिक तथा खनिकर्म विभाग।	१,१७,६०,४८,२१,०००	३०,००,००,००,०००	१,४७,६०,४८,२१,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
ग्रामविकास विभाग ।			
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	६,००० ... ६,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	
		२५०५, ग्राम नियोजन।	
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	
		३०५४, सड़क तथा पुल।	
		कुल-ग्रामविकास विभाग।	६,००० ... ६,०००
खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।			
एम-२	खाद्य भंडारकरण और गोदाम।	२४०८, खाद्य भंडारकरण तथा गोदाम।	२१,२०,६२,५३,००० ... २१,२०,६२,५३,०००
		कुल-खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	२१,२०,६२,५३,००० ... २१,२०,६२,५३,०००
सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग ।			
एन-२	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन।	२५,००,००० ... २५,००,०००
		२२१६, आवास।	
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२०५३, जिला प्रशासन।	३४,८०,७६,१७,००० ... ३४,८०,७६,१७,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	
		२२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य।	
		२२११, परिवार कल्याण।	
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	
		२२१६, आवास।	
		२२१७, नगर विकास।	
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
		२२३०, श्रम, नियोजन और कौशल विकास।	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२२३६, पोषण।	
		२४०१, फसल उत्पादन।	
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	
		२४०३, पशुपालन।	
		२४०५, मत्स्य उद्योग।	
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	
		२४०८, खाद्य भंडारकरण तथा गोदाम।	
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	
		२५०५, ग्राम नियोजन।	

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		२८५२, उद्योग।			
		कुल-सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	३४,८१,०१,१७,०००	...	३४,८१,०१,१७,०००
		नियोजन विभाग।			
ओ-२	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	१०,९५,०१,०००	...	१०,९५,०१,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
ओ-३	ग्राम नियोजन।	२५०५, ग्राम नियोजन।	८६,०९,८२,००,०००	...	८६,०९,८२,००,०००
ओ-७	सचिवालय-आर्थिक सेवा।	३४५१, सचिवालय---आर्थिक सेवाएँ।	३८,८९,१०,०००	...	३८,८९,१०,०००
		कुल-नियोजन विभाग।	८६,५९,६६,११,०००	...	८६,५९,६६,११,०००
		गृहनिर्माण विभाग।			
क्यू-३	गृहनिर्माण।	२२१६, आवास।	१,०८,५६,०००	...	१,०८,५६,०००
		२२१७, नगर विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		कुल-गृहनिर्माण विभाग।	१,०८,५६,०००	...	१,०८,५६,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
लोक स्वास्थ्य विभाग ।			
आर-१	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवाएँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	२९,६१,२५,८४,००० ... २९,६१,२५,८४,०००
	२२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य।		
	२२११, परिवार कल्याण।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	कुल-लोक स्वास्थ्य विभाग ।	२९,६१,२५,८४,०००	... २९,६१,२५,८४,०००
चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।			
एस-१	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य।	६,०९,८०,१९,००० ... ६,०९,८०,१९,०००
एस-३	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	४६,६४,००० ... ४६,६४,०००
	कुल-चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।	६,१०,२६,८३,०००	... ६,१०,२६,८३,०००
जनजाती विकास विभाग ।			
टी-५	जनजाति क्षेत्रों के विकास उप-योजना पर राजस्व परिव्यय।	२०५३, जिला प्रशासन।	३,८१,६६,२४,००० ... ३,८१,६६,२४,०००
	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।		
	२२०२, सामान्य शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१६, गृहनिर्माण।		

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		२२१७, नगर विकास ।	
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	
		२२३०, श्रम, नियोजन और कौशल विकास ।	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	
		२२३६, पोषण ।	
		२४०१, फसल उत्पादन ।	
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।	
		२४०३, पशुपालन ।	
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।	
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	
		२४०८, खाद्य भंडारकरण तथा गोदाम ।	
		२४२५, सहकारिता ।	
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	
		२५०५, ग्राम नियोजन ।	
		२७०२, लघु सिंचाई	
		२८०१, विद्युत ।	
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।	
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।	
		२८५२, उद्योग ।	

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		३०५४, सड़क तथा पुल।	
		कुल-जनजाती विकास विभाग।	३,८१,६६,२४,००० ... ३,८१,६६,२४,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	
व्ही-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	२,०७,५४,६४,८२,००० ... २,०७,५४,६४,८२,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	
		२४२५, सहकारिता।	
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।	
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	
		३४५६, सिविल आपूर्ति	
		कुल-सहकारिता, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग।	२,०७,५४,६४,८२,००० ... २,०७,५४,६४,८२,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	१,३३,८६,११,००० १,३३,८६,११,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	६,२०,९३,००,००० ६,२०,९३,००,०००
		कुल-उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	७,५४,७९,११,००० ७,५४,७९,११,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
महिला तथा बाल विकास विभाग ।			
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा और पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण।	१७,३४,९२,७३,००० ... १७,३४,९२,७३,०००
		कुल-महिला तथा बाल विकास विभाग ।	१७,३४,९२,७३,००० ... १७,३४,९२,७३,०००
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।			
वाय-२	जल आपूर्ति और स्वच्छता।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	४६,२५,०२,००० ... ४६,२५,०२,०००
		कुल-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।	४६,२५,०२,००० ... ४६,२५,०२,०००
महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ।			
झेड सी-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडल।	२८,००,००,००० ... २,८०,०००
		कुल-महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ।	२८,००,००,००० ... २८,००,००,०००
पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग ।			
झेड डी-२	कला और संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	५०,००,०१,००० ... ५०,००,०१,०००
झेड डी-४	पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।	५०,००,००,००० ... ५०,००,००,०००
		कुल-पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग ।	१,००,००,०१,००० ... १,००,००,०१,०००
अल्पसंख्यक विकास विभाग ।			
झेड ई-१	अल्पसंख्यकों का विकास।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	३४,१५,००,००० ... ३४,१५,००,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		कुल-अल्पसंख्यक विकास विभाग ।	३४,१५,००,०००	३४,१५,००,०००
		मराठी भाषा विभाग ।		
झेडएफ-१	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	५४,६७,०००	५४,६७,०००
		कुल-मराठी भाषा विभाग ।	५४,६७,०००	५४,६७,०००
		अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ।		
झेडजी-३	विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाती, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण ।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	१७,२९,१०,३५,०००	१७,२९,१०,३५,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		कुल-अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ।	१७,२९,१०,३५,०००	१७,२९,१०,३५,०००
		दिव्यांग कल्याण विभाग ।		
झेडआय-३	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	८,९५,७३,४५,०००	८,९५,७३,४५,०००
		कुल-दिव्यांग कल्याण विभाग ।	८,९५,७३,४५,०००	८,९५,७३,४५,०००
		कुल - क—राजस्व लेखे पर व्यय	६,६५,७०,९८,३९,०००	३०,३०,५५,१७,००० ६,९६,०१,५३,५६,०००
		ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय		

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
गृह विभाग ।			
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय ।	१३,३२,४७,३१,०००
		४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	...
		५००२, भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईन पर पूंजीगत परिव्यय ।	१३,३२,४७,३१,०००
		५०५१, पत्तन तथा दिप गृहों पर पूंजीगत व्यय ।	
		५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय ।	
		कुल-गृह विभाग ।	१३,३२,४७,३१,०००
			...
			१३,३२,४७,३१,०००
महसूल तथा वन विभाग ।			
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।	३,६४,६५,३८,०००
		४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय ।	...
		४७०१, मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।	३,६४,६५,३८,०००
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		६४०१, फसल उत्पादन पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		कुल-महसूल तथा वन विभाग ।	३,६४,६५,३८,०००
			...
			३,६४,६५,३८,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योविकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग ।	
डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।	७१,९५,००,०००
		६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए ऋण ।	...
		कुल-कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग तथा मत्स्य उद्योग विभाग ।	७१,९५,००,०००
		नगर विकास विभाग ।	
एफ-५	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय ।	२४,१८,१०,००,०००
एफ-७	नगरविकास के लिए ऋण ।	६२१७, नगर विकास के लिए ऋण ।	४९,७२,००,००,०००
		कुल-नगर विकास विभाग ।	७३,९०,१०,००,०००
		वित्त विभाग ।	
जी-८	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय ।	९९,३४,००,१३,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	...
		४२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	९९,३४,००,१३,०००
		४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय ।	...
		४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय ।।	...
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय ।	...
		४७००, बड़ी सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।	...

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		४७०१, मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४७०२, लघु सिंचाई पर परिण्यय व्यय।	
		५०५४, सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय।	
		५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		६२१७, नगर विकास पूंजीगत परिव्यय।	
		६८०१, विद्युत परियोजनाओं पूंजीगत परिव्यय।	
		६८७५, अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	
		कुल-वित्त विभाग।	९९,३४,००,१३,००० ... ९९,३४,००,१३,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग।	
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय।	३२,००,००,०५,००० ... ३२,००,००,०५,०००
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	१६,६१,७७,०६,००० ... १६,६१,७७,०६,०००
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		४२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	११,७४,००० ... ११,७४,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		...	...
		कुल-लोकनिर्माण कार्य विभाग।	४८,६१,८८,८५,००० ४८,६१,८८,८५,०००
		जलस्रोत विभाग	
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत व्यय।	११,००,००,१२,००० ... ११,००,००,१२,०००
		४७००, बड़ी सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४७०१, मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४७०५, कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय।	

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		कुल-जलस्रोत विभाग।	११,००,००,१२,००० ... ११,००,००,१२,०००
		विधि तथा न्याय विभाग।	
जे-४	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	२३,००० ... २३,०००
		४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय।	
जे-५	सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण।	७६१०, सरकारी कर्मचारी आदि, ऋण।	२५,००,००,००० ... २५,००,००,०००
		कुल-विधि तथा न्याय विभाग।	२५,००,२३,००० ... २५,००,२३,०००
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	३,००० ... ३,०००
		४२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय।	
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय।	
		४४०८, खाद्य भंडारकरण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत व्यय।	

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए ऋण ।	
		कुल-सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग ।	३,००० ... ३,०००
		नियोजन विभाग ।	
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	६,७९,३६,७६,००० ... ६,७९,३६,७६,०००
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय ।	
		५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय ।	
ओ-१२	सामान्य वित्तीय और व्यापारी संस्थाओं में निवेश ।	५४६५, सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश ।	२,००,००,००,००० ... २,००,००,००,०००
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		कुल-नियोजन विभाग ।	८,७९,३६,७६,००० ... ८,७९,३६,७६,०००
		लोक स्वास्थ्य विभाग ।	
आर-३	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय ।	४२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	१,००,००,००,००० ... १,००,००,००,०००
		६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	
		कुल-सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ।	१,००,००,००,००० ... १,००,००,००,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।	
एस-४	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय ।	४२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	६,१५,००,००,००० ... ६१,५०,०००
		कुल-चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।	६,१५,००,००,००० ... ६,१५,००,००,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
		जनजाति विकास विभाग ।		
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	२,०००	२,०००
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।	...	
		४२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय ।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४४०८, खाद्य भंडारकरण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत व्यय ।		
		४७०१, मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय ।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		कुल-जनजाती विकास विभाग ।	२,०००	२,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
	सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।		
व्ही-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत व्यय ।	७,७७,००,००,०००
		४४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय ।	...
		४८५१, ग्रामो और लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	७,७७,००,००,०००
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	
व्ही-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	६४२५, सहकारिता के लिए ऋण ।	४,८३,७७,००,०००
		६८५१, ग्रामोद्योग और लघुउद्योगों के लिए ऋण ।	...
		६८६०, उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण ।	४,८३,७७,००,०००
		७४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण ।	
		कुल-सहकारिता, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग ।	१२,६०,७७,००,०००
			...
			१२,६०,७७,००,०००
	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।		
वाय-६	आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२१५, जलआपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय ।	४,६६,००,०००
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय ।	...
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय ।	४,६६,००,०००
		६२१५, जलआपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण ।	
		कुल-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।	४,६६,००,०००
			...
			४,६६,००,०००

अनुसूची-जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
		महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ।			
झेडसी-३	गृहनिर्माण पर पुंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	१,००,००,००,०००	...	१,००,००,००,०००
		४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		७६१०, सरकारी कर्मचारी आदि. के लिए ऋण।			
		कुल-महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ।	१,००,००,००,०००	...	१,००,००,००,०००
		अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ।			
झेडसी-४	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों पर पूंजीगत परिव्यय।	६५,००,००,०००	...	६५,००,००,०००
		कुल-अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ।	६५,००,००,०००	...	६५,००,००,०००
		कुल - ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय	२,८१,०४,८६,८३,०००	...	२,८१,०४,८६,८३,०००
		कुल योग :-	९,४६,७५,८५,२२,०००	३०,३०,५५,१७,०००	९,७७,०६,४०,३९,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसरण में, राज्य की समेकित निधि में से, वर्ष २०२६-२०२७ के संबंध में कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दर्शायी गई हैं :—

	रुपये
(क) राजस्व व्यय	.. ६,९६,०१,५३,५६,०००
(ख) पूंजीगत व्यय	.. २,८१,०४,८६,८३,०००
कुल	.. ९,७७,०६,४०,३९,०००

मुंबई,
दिनांकित ३० जून २०२६।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमलबाई वाळू गिते,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।